

## बिज़नेस स्टैंडर्ड

वर्ष 12 अंक 176

### आर्थिक प्रोत्साहन जरूरी

दिल्ली सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह पड़ोसी राज्यों में फसल अवशेष जलाए जाने के कारण होने वाली वायु प्रदूषण को समस्या से निपटने की योजना बना रही है। यह अच्छा कदम है और पास-पड़ोस के अन्य राज्यों को भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। देश के उत्तर पश्चिम में स्थित राज्यों में धान की पुआल और अन्य अवशेष जलाने

के खिलाफ की गई पहल शुरूआती गतिरोध को पार कर चुकी हैं और इनके परिणाम भी नजर आने लगे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही में उपग्रह आधारित अध्ययन के बाद दावा किया कि 2017 की तुलना में गत वर्ष हरियाणा में फसल अवशेष जलाने में 41 फीसदी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 फीसदी और पंजाब में 15 फीसदी कमी

आई। यह छोटी लेकिन अहम शुरुआत है। हालांकि, सुनिश्चित परिणाम हासिल करने के लिए अभी काफी कुछ किए जाने की आवश्यकता है। फसल अवशेष जलाने से रोकने की केंद्र और राज्यों की मौजूदा नीति में बड़ी कमी यह है कि ये नीतियां प्रमुख तौर पर हैप्पी सोडर नामक उपकरण को बढ़ावा देती हैं। ट्रेक्टर पर लगने वाली यह मशीन एक बार में धान के अवशेष हटाकर गेहूं की आली फसल को बुआई कर देती है। यह उपकरण चाहे जितना बेहतर हो लेकिन इतनी बड़ी समस्या के लिए एक मशीन आधारित हल की अपनी कमियां हैं। यह एक महंगा उपकरण है और 50 फीसदी की सब्सिडी के बावजूद यह अधिकांश किसानों के बजट से बाहर है।

सहकारी संघों और कृषि उत्पादक संगठनों द्वारा इन मशीनों को खरीदने पर 80 फीसदी की सब्सिडी की पेशकश की गई है जहां से किसान इन्हें किराये पर ले सकते हैं। साल में केवल तीन सप्ताह के इस्तेमाल के चलते इनमें निवेश को बुद्धिमानी नहीं माना जाता। इसके अलावा इसे केवल उच्च शक्ति वाले ट्रैक्टर के जरिये चलाया जा सकता है जो अधिकांश किसानों के पास होता ही नहीं। इतना ही नहीं, कई किसानों को लगता है कि अवशेष के निपटान पर होने वाले खर्च के बजाय उसे जलाना अधिक आसान है। फसल जलाना अधिक आसान समझते हैं। यह बात अलग है कि उच्च उत्पादन से उस नुकसान की भरपाई हो जाती है। स्पष्ट है कि फसल अवशेष जलाना एक

आर्थिक मसला है और इसका हल भी आर्थिक प्रोत्साहन में ही निहित है। जरूरत इस बात की है कि धान के अवशेष का मूल्यवर्धन कर उसे बाजार में बेचे जाने लायक बनाया जा सके। अगर उन्हें इससे आय होने लगे तो किसान इन अवशेषों को एकत्रित करने से परहेज नहीं करेंगे। गेहूं का भूसा जहां पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल होता है और बाजार में अच्छे कीमतों पर बिकता है, वहीं धान की पुआल अपायकारी होने के कारण इस काम नहीं आती। ऐसे में इसके सार्थक उपयोग के अन्य रास्ते तलाश करने होंगे। अच्छी बात यह है कि अब ऐसी तकनीक सामने आ रही है जिनकी सहायता से धान के अवशेष से जैविक गैस या अन्य तरह के ईंधन तैयार किए जा सकते हैं।

इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलिएम जैसी तेल कंपनियां पंजाब में इस कचरे से बायो-सीपनजी बनाने के संयंत्र लगा रही हैं। उन्हें इस सिलसिले में लाइसेंस तथा अन्य मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा फसल अवशेष के तीव्र अपघटन से कंपोस्ट खाद बनाने के तरीके भी तलाश जाने चाहिए। इस दिशा में कुछ सफलता मिल चुकी है जिसे बढ़ावा देना होगा। एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बाद पैकेजिंग क्षेत्र में भी इसके लिए नए अवसर हैं। अतीत की तरह धान की खूंटी का इस्तेमाल नाजुक वस्तुओं को पैक करने में कुशल की तरह किया जा सकता है और यह थर्मोकॉल तथा अन्य तरह के प्लास्टिक की जगह ले सकता है।



अजय मोहंती

# भारत की निर्यात बाधा और 'फैक्टरी एशिया'

भारत निर्यात वृद्धि के मामले में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से पिछड़ा जा रहा है। उसे संरक्षणवादी कदमों की भी समीक्षा करनी होगी। विस्तार से बता रही हैं अमिता बत्रा

प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में निर्यात बढ़ाने की जरूरत पर बल देकर भारतीय अर्थव्यवस्था की नीतिगत प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्ट संकेत दिए थे। हालांकि मुख्य आर्थिक सलाहकार ने हाल ही में कहा था कि वैश्विक निर्यात में भारत के उत्पाद निर्यात की हिस्सेदारी दो फीसदी से भी कम होने से इसमें काफी संभावनाएं देखने को लेकर वस्तुस्थिति परीक्षण की जरूरत है। वैश्विक कारोबार में भारत की निर्यात हिस्सेदारी पांच वर्षों से अधिक समय से दो फीसदी के आसपास ही रही है। वित्त वर्ष 2014-15 और 2015-16 में नकारात्मक वृद्धि दर्ज करने के बाद निर्यात वृद्धि ने बाद के दो वर्षों में कुछ तेजी पकड़ी लेकिन 2018-19 में यह दोबारा सुस्त पड़ गई। यह अब भी चिंता का बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा, भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में पांच फीसदी से कम बढ़ोतरी ही देखने को मिली है। निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता वर्ष 2012 के बरक्स 2017 में शीर्ष 20 भागीदार देशों में बाजार हिस्से के अनुपात के तौर पर परखी जाती है। बड़े वैश्विक निर्यात रणनीति के अनुपात में भारत के निर्यात रणनीति का अधिक विस्तृत विश्लेषण अन्य अहम कमजोरियां दर्शाता है और एक

अधिक संयमित नजरिया अपनाने का सुझाव देता है। पहला, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उत्पादों के कारोबार की ही प्रमुखता होती है और सेवा कारोबार उत्पाद व्यापार के कुल मूल्य के एक तिहाई से भी कम है। उत्पाद श्रेणी में वैश्विक कारोबार का करीब आधा हिस्सा मध्यवर्ती उत्पादों का होता है और उपभोक्ता उत्पाद, कच्चा माल, पूंजी उत्पाद श्रेणियों में मात्रा बढ़ने के बावजूद यह अनुपात कमोबेश ऐसा ही रहेगा। दूसरा, पिछले दो दशकों में वैश्विक कारोबार मुख्य रूप से वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (जीवीसी) से ही पोषित होता रहा है। कई जीवीसी के लिए उत्पादों को कई बार सीमा के आर-पार जाना पड़ता है। उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्निहित विखंडन ने अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता का दायरा बढ़ा दिया है। उत्पादों के बीच तक सीमित न रहकर अब अलग-अलग उत्पादों के उत्पादन के विभिन्न चरणों में विशेषज्ञता हो चुकी है। नतीजतन, विकासशील देशों के लिए जीवीसी के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए तुलनात्मक सुविधा के नए स्रोत सामने आए हैं। जीवीसी में भागीदारी का ताल्लुक निर्यात विभिन्नता, परिष्कार और बढ़ी हुई उत्पादकता से है। तीसरा, मूल्य शृंखला काफी हद तक

क्षेत्रीय है और एशिया, यूरोप एवं उत्तर अमेरिका वैश्विक उत्पादन के तीन बड़े केंद्र हैं। गत दशक में 'फैक्टरी एशिया' पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे गतिशील केंद्र रहा है। चीनी अर्थव्यवस्था और आसियान देशों के कार्यांतरण ने एशिया को समूची दुनिया के कार्यांतरण के बीच मूलभूत रूप से सकारात्मक अंतर्संबंध दिखाता है। क्षेत्रीय उत्पादन के दो अन्य केंद्रों- यूरोप और उत्तर अमेरिका भी मुख्य रूप से जर्मनी और अमेरिका तक केंद्रित रहे हैं और यहां पर अंतर-क्षेत्रीय कारोबार में मामूली गिरावट देखी गई है लेकिन उनका फैक्टरी एशिया के साथ क्षेत्रीय संपर्क मजबूत हुआ है। वैश्विक निर्यात रणनीति के उलट वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वैश्विक वाणिज्य निर्यात हिस्सेदारी का दोगुना है। वाणिज्य निर्यात की तुलना में सेवा निर्यात का अनुपात 2000-01 के 35.8 फीसदी से बढ़कर 2016-17 में 58.2 फीसदी हो चुका है। भारत का वाणिज्य उत्पाद श्रेणी में सबसे बड़ा हिस्सा उपभोक्ता उत्पादों (44 फीसदी) का है जिसके बाद मध्यवर्ती उत्पाद निर्यात

(33 फीसदी) का नंबर आता है। जीवीसी के साथ भारत का एकीकरण जी-20 देशों में सबसे कम है। आसियान देशों की तुलना में भारत का जीवीसी एकीकरण न केवल बहुत कम है बल्कि इसके बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड दोनों ही गतिविधियों में गिरावट आई है। इसकी तुलना में आसियान देशों का बैकवर्ड जीवीसी संपर्क भले ही कम हुआ है लेकिन पहले काफी ऊंचे स्तर पर था और उनका फॉरवर्ड जीवीसी संपर्क स्थिर बना हुआ है। वियतनाम तो एकदम अलग तरह का अनुभव दिखाता है: उसका जीवीसी एकीकरण काफी उच्च स्तर पर है और इस अवधि में उसका बैकवर्ड एकीकरण स्थिर दर से बढ़ा है। इसके अलावा जीवीसी गतिविधि के मुख्य केंद्र पूर्व एशिया एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ मूल्य शृंखला एकीकरण कमजोर बना हुआ है। भारत में हुए मूल्य वृद्धि का पूर्व एवं दक्षिण-पूर्व एशियाई निर्यात के रास्ते वैश्विक कारोबार में अंशदान महज एक टुकड़ा है। वर्ष 2016 में भारत का मूल्य-वृद्धि अंशदान वियतनाम के अंशदान का महज चौथा हिस्सा था और आसियान समूह के अंशदान का तो तीन फीसदी ही थी। आसियान के उप-क्षेत्रों के साथ जीवीसी संपर्क के मामले में भी यही सच है। भारत में सुजित और दुनिया को होने वाले आसियान निर्यात में शामिल होने वाला मूल्य वृद्धि वियतनाम के आसियान निर्यात का 11 फीसदी ही है। इतनी कम भागीदारी होने का मतलब है कि भारत के निर्यात की मांग आसियान देशों से नहीं तेजी पकड़ रही है। ऐसे में भारत के विनिर्मित उत्पादों का आसियान को निर्यात बीते दशक में शायद ही बदला है। आखिर में, भारत के शीर्ष निर्यात क्षेत्रों में शामिल मोटर वाहन, कपड़ा एवं परिधान क्षेत्र मूल्य शृंखला एकीकरण के उच्चतम स्तर वाले क्षेत्र भी हैं। लेकिन पिछले वर्षों में इन दोनों क्षेत्रों में भारत का जीवीसी एकीकरण गिरा है। कपड़ा एवं परिधान निर्यात में आयात की मात्रा वर्ष 2005 में 15.3 थी लेकिन 2016 में यह घटकर 13.4 फीसदी पर आ गई। मोटर वाहनों के निर्यात में भी आयात हिस्सेदारी 25.3 फीसदी से घटकर 23.5 फीसदी पर आ गई। इसी के साथ वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कपड़ा एवं परिधान क्षेत्र में खासी गिरी है और वाहन क्षेत्र में नगण्य स्तर पर बनी हुई है। इन तीनों क्षेत्रों के लिए इनपुट माल पर आयात शुल्क बढ़ाने की नीति का परिणाम कमतर उत्पादों के इस्तेमाल या उत्पादन की लागत बढ़ने के तौर पर सामने आ सकता है जो प्रतिस्पर्धा में बने रहने और बाजार हिस्सेदारी गंवाने का खतरा पैदा करता है। इस तरह भारत की व्यापार नीतियों को वाणिज्य उत्पादों के व्यापार में बढ़ोतरी करने लायक बनाने की जरूरत है ताकि पूर्व एवं दक्षिण-पूर्व एशिया की क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं के साथ सामंजस्य बनाया जा सके। इसके साथ ही आयात शुल्क वृद्धि के संरक्षणवादी कदमों से भी बचा जाना चाहिए क्योंकि इससे भारत अपने शीर्ष निर्यात क्षेत्रों में मिली बढ़त भी गंवा सकता है। (लेखिका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर हैं)

## मजबूत है सरकार तो क्यों नहीं अपनाती जरूरी सुधार ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने समर्थकों में खासी लोकप्रियता हासिल है। समर्थक उन्हें साहसी निर्णय लेने वाला नेता मानते हैं। उदाहरण के लिए दूसरे कार्यकाल के शुरुआती दिनों में उन्होंने वहीं से शुरुआत की जहां पहला कार्यकाल खत्म किया था। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 370 पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जिससे जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा ही बदल गया। राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। अजीब यह है कि मौजूदा सरकार अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी की भारी समस्याओं को हल करने के लिए वही उत्सुकता नहीं दर्शा रही है। अर्थव्यवस्था की स्थिति डाँवाडोल है और अर्थशास्त्री यह चर्चा करने में व्यस्त हैं कि मंदी की प्रकृति चक्रिय है या ढाँचागत। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी इस विषय पर सहमत नहीं हैं। क्या मोदी के पहले कार्यकाल में लिए गए नोबंदी और वस्तु एवं सेवा कर की अग्रिम समय सीमा ने वह परिस्थिति तैयार की जिसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 'मानवनिर्मित मंदी' कह रहे हैं।



जिंदगीनामा कनिका दत्ता

कारण चाहे जो भी हो, इस बात को लेकर तमाम विचारधाराओं के लोगों के बीच आम सहमति है कि अब कुछ करने का वक्त आ गया है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में जब यह स्पष्ट हो गया कि वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आसान कर दिया। इससे जुड़ी घोषणाओं पर मीडिया में काफी उत्साह देखने को मिला क्योंकि इसका मतलब था एपेल जैसी कंपनी के बहुचर्चित स्टोर का भारत में खुलना। लेकिन केवल एपल जैसा एक ब्रांड भारतीय अर्थव्यवस्था की तकदीर नहीं बदल सकता, भले ही अनुबंधित विनिर्माण के बदले नियम के तहत देश में ज्यादा तादाद में आईफोन बनने शुरू हो जाएं। इसके अलावा एफडीआई की नीति केवल शुरुआत है। एपल की अनुबंधित विनिर्माता फॉक्सकॉन यह देख चुकी है कि किसी राज्य के नेता की प्रतिबद्धता (महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस) का

अर्थ हमेशा जमीनी काम की शुरुआत नहीं होती। गत 31 अगस्त को पहली तिमाही में जीडीपी के निराशाजनक आंकड़े सामने आए और जिनके पहले ही यह घोषणा की गई कि 10 बड़े सरकारी बैंकों का विलय कर चार बैंक बनाए जा रहे हैं। इसे भला किस तरह सुधार कहा जा सकता है ? शायद इसलिए क्योंकि सरकार की योजना मजबूत बैलेंस शीट वाले बड़े बैंक स्थापित करने की है। दिक्कत यह है कि विलय के चुने गए कई बैंक ऐसे हैं जिनमें कर्मचारियों की तादाद जरूरत से ज्यादा है और जिनके पास कोई कारोबार नहीं है। पर्सि मिस्त्री ने ऐसे बैंकों को जॉम्बी बैंक कहा था। सवाल यह है कि उनका विलय ऋण वृद्धि में कैसे सहायक होगा ? इसका जवाब अभी मिलना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाद में स्पष्ट किया कि इस विलय से एक भी नौकरी नहीं जाएगी और न ही कोई बैंक शाखा बंद होगी। ऐसे में विलय की दलील ही समाप्त हो जाती है। अगर कर्मचारियों की तादाद में कमी नहीं करनी है या शाखाएं बंद नहीं करनी हैं तो विलय का तुक क्या है ? विनिवेश के मामले में भी देखें तो एक सरकारी कंपनी दूसरी कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रही है। इन दोनों को साथ मिलाकर देखें तो इन तथाकथित आर्थिक सुधारों में कल्पनाशीलता का अभाव नजर आता है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं स्वयं और भूमि कानूनों के मामले में ढाँचागत सुधारों को अपनाने की इच्छाशक्ति नजर नहीं आती। कृषि बाजारों की सुधरूपत बनाने की दिशा में भी कुछ नहीं हो रहा है। दलील दी जाती रही है कि ये केंद्र राज्य के हाथ में हैं और केंद्र के पास करने को कुछ खास नहीं है। यह दलील थोथी है नीतियों में सुधार की दृष्टि से इतना अनुकूल राजनीतिक माहौल नहीं शायद ही कभी रहा हो। आधे से अधिक राज्यों में केंद्र के सत्ताधारी दल या उसका गठबंधन सत्ता में काबिज धीरे-धीरे चिंता का विषय बनता जा रहा है। हाल ही में बिहार सरकार ने एक अहम फैसला लिया है कि माता-पिता की सेवा नहीं करने और उपर अत्याचार करने वाले संतान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में लागू यह कानून स्वागतयोग्य है।

### कानाफूसी

**दोहरी चुनौती**  
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर से संपर्क कायम करने की कोशिश में लगा है, लेकिन सोशल मीडिया पर उसे एक अनुभवी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर इसरो और उसके चेरयमैन के शिवन के नाम से तमाम फर्जी पेज और ट्विटर अकाउंट अचानक उभर आए हैं जिससे सोशल मीडिया के जरिये तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। करीब 4,000 फॉलोअर वाले ऐसे ही एक ट्विटर हैंडल को सोमवार को हटाया गया। लेकिन इसके बाद मिलते जुलते नाम वाले तमाम नए पेज सामने आ गए और वे सभी खुद को वास्तविक बताते का दावा कर रहे हैं। आखिरकार इसरो ने एक स्पष्टीकरण जारी किया कि इसरो चेरयमैन का सोशल मीडिया पर कोई निजी अकाउंट नहीं है और ऐसी कोई भी जानकारी झूठी है।



### आपका पक्ष

**सरकारी बैंकों का विलय जरूरी**  
भारत को 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नई पीढ़ी के बैंकों का होना बहुत जरूरी है। इसी विचार के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा की। सरकारी बैंकों के विलय की प्रक्रिया उदारीकरण के दौर से चली आ रही है। पूर्व में सरकारी बैंकों के अलावा कई निजी बैंकों का भी विलय हुआ है। वर्ष 1991 में बैंकिंग सुधार पर एमएल नरसिम्हन की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था। नरसिम्हन समिति ने देश में 3 से 4 अंतरराष्ट्रीय स्तर के बैंक और 10 राष्ट्रीय स्तर के बैंक की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार का यह फैसला उस वक्त आया है जब विकास दर 6 वर्ष के निचले पायदान पर है। विकास दर वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में घटकर 5 फीसदी रह गई है। हालांकि दुनिया भर में नरमी के संकेत हैं और भारत इससे अछूता नहीं रह सकता है। सरकार स्थिति से निपटने के लिए प्रयास



कर रही है और दावा कर रही है कि भारत अभी भी सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बना हुआ है। सरकार का दावा है कि भारत को 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में यह एक कदम की है। विलय का फैसला देश में मजबूत और अंतरराष्ट्रीय स्तर के बड़े बैंक गठित करने के लक्ष्य से किया गया है। वैश्विक स्तर पर

प्रतिस्पर्धी माहौल में काम करे और ग्राहकों को सस्ते कर्ज के साथ बेहतर सेवाएं प्रदान करे। विलय से बैंकों के परिचालन की लागत घटती और नए राज्यों में तेजी से पहुंच बढ़ेगी। काफी हद तक बैंक कर्मियों के वेतन में असमानता दूर होगी। दूसरी तरफ देश के विकास और आर्थिक हालात को लेकर विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं तथा सरकार को कठघरे में खड़ा कर रही हैं। कई जानकारों का तर्क है कि बड़े पैमाने पर बैंकों के विलय का फैसला सरकार द्वारा जल्दबाजी में लिया गया है। इससे क्षेत्रीय लाभ समाप्त हो जाएंगे और बैंक कर्मचारियों को तकनीकी स्तर पर चुनौतियां बढ़ेंगी। साथ ही बड़े बैंकों को आर्थिक संकट के समय ज्यादा जोखिम होगा। हालांकि वित्त मंत्री ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। राजीव सिंह, हैदराबाद

**बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के कदम**  
दक्षिणी दिल्ली की एक सभ्रांत कॉलोनी में रह रहे एक 91 वर्षीय बुजुर्ग की जिस तरह उनके नौकर ने हत्या कर शव को फ्रिज में रखकर ठिकाने लगाने का प्रयास किया। वह न सिर्फ देश की राजधानी में बढ़ते अपराध, बल्कि शहरों में रह रहे बुजुर्गों की असुरक्षा को भी रेखांकित करता है। बहुत सारे बुजुर्ग अपने संतान की उपेक्षा के शिकार हैं। कई भरेलू कार्य के सहारे जिंदगी गुजर बसर करते हैं। जिन बच्चों को माता-पिता पढ़ा लिखाकर पोष्य बनाते हैं, वही बुजुर्गों में उन्हें अपने हाल पर छोड़ देते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक बात है और यह विषय धीरे-धीरे चिंता का विषय बनता जा रहा है। हाल ही में बिहार सरकार ने एक अहम फैसला लिया है कि माता-पिता की सेवा नहीं करने और उपर अत्याचार करने वाले संतान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में लागू यह कानून स्वागतयोग्य है।

अभिजीत मेहरा, गाँडू

पाठक विलय शह हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।